भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3086

दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

निर्भया कोष का उपयोग

3086. श्रीमती प्रतिमा मण्डल:

क्या **महिला एवं बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध अपराधों की संख्या वर्ष 2012 में 2.4 लाख से बढ़कर वर्ष 2022 में 4.5 लाख हो जाने तथा पॉक्सो घटनाओं की संख्या वर्ष 2017 में 32,600 से बढ़कर 2022 में 63,400 हो जाने की समस्या से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) निर्भया कोष से कम उपयोग का ब्यौरा क्या है क्योंकि वर्ष 2022 तक केवल 33 प्रतिशत राशि ही खर्च की जा रही है; और

(ग) क्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोष के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'सार्वजनिक कानून व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में जांच और अभियोजन सहित कानून और व्यवस्था बनाए रखना, नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है, वे ऐसे अपराधों से निपटने में सक्षम हैं।

एनसीआरबी रिपोर्ट में परिलक्षित अपराध की बढ़ती रिपोर्टिंग, पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा महिला हेल्पलाइन-181 और आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस-112), जीरो-एफआईआर, ई-एफआईआर के प्रावधानों और पीड़ितों को संस्थागत सहायता जैसी हेल्पलाइनों के संचालन सहित विभिन्न उपायों के कारण नागरिकों में जागरूकता के बढ़ते स्तर के कारण हो सकती है।

तथापि, सरकार महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और इस संबंध में कई पहलें की हैं।

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू 'सुरक्षात्मक कानून और नियम ढांचा' का कार्यान्वयन करना है। आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक और बेहतर बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1 जुलाई, 2024 से भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) लागू किया है। बीएनएस 2023 में, भारतीय दंड संहिता, 1860 में पहले से बिखरे हुए महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को एक साथ लाया गया है और बीएनएस के अध्याय-V के तहत समेकित किया गया है। इन 3 नई संहिताओं में केवल दंडात्मक उपाय करने के बजाय न्याय सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी गई है। इन संहिताओं में महिलाओं और बच्चों से संबंधित कानूनों को सशक्त करने के लिए नए प्रावधान विशेष रूप से "संगठित अपराध" की धारा 111, नाबालिगों के साथ वैवाहिक संभोग से संबंधित धारा 63, शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे पर या पहचान छिपाकर यौन संभोग से संबंधित धारा 69 और अपराध करने के लिए बच्चे को काम पर रखने, नियोजित करने या संलिप्त करने से संबंधित धारा 95 इत्यादि शुरू किए गए हैं। वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए बच्चे को खरीदने (धारा 99), सामूहिक बलात्कार (धारा 70) और दुर्व्यापार पीड़ित के शोषण (धारा 144) से संबंधित अपराधों के संबंध में सजा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा, वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से बच्चों को खरीदना (बीएनएस की धारा 99), संगठित अपराध (धारा 111), भीख मांगने के उद्देश्य से बच्चों का अपहरण या उन्हें अपंग बनाना (धारा 139) जैसे महिलाओं के खिलाफ कुछ गंभीर अपराधों के संबंध में अनिवार्य न्यूनतम सजा निर्धारित की गई है। साथ ही, बीएनएस 2023 की धारा 75 और 79 उत्पीड़न के खिलाफ अतिरिक्त कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है जिसमें अवांछित यौन प्रस्ताव, यौन अहसान के लिए अनुरोध, यौन रूप से दो अर्थी टिप्पणी करना, महिला की लज्जा का अपमान करने के इरादे वाले शब्द कहना, इशारा करना या कार्य जैसी गतिविधियां शामिल हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली महिला के पास इन प्रावधानों के तहत शिकायत दर्ज करने का विकल्प है।

इसके अतिरिक्त, धारा 398 बीएनएसएस के तहत प्रावधान जो गवाह संरक्षण योजनाएं, बयानों की रिकॉर्डिंग में उत्तरजीवी-केंद्रित प्रावधान [धारा 176 (1), धारा 179 बीएनएसएस की धारा 193 (3) और 195 और गवाहों को धमकियों और धमकी से बचाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को स्वीकार करते हैं और बीएसए की धारा 2 (1) (घ) जो अब ईमेल पर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन पर दस्तावेज़, डिजिटल उपकरणों पर संग्रहीत संदेश तथा वॉयस मेल संदेशों को दस्तावेजों की परिभाषा के तहत सक्षम बनाती है, को भी महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए संदर्भित किया जा सकता है।]

इसके अलावा, देश में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा 'निर्भया कोष' के तहत कई योजनाएं/परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। मानव दुर्व्यापार की रोकथाम और पीड़ितों की सहायता करने के लिए 827 मानव दुर्व्यापार विरोधी इकाइयां स्थापित की गई हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुलिस स्टेशन महिलाओं के लिए अधिक अनुकूल और सुलभ हों, क्योंकि वे पुलिस स्टेशन में आने वाली किसी भी महिला के लिए संपर्क का पहला और एकल बिंदु होंगे, 14,658 वूमेन हेल्प डेस्क (डब्ल्यूएचडी) स्थापित किए गए हैं। इनमें से 13,743 का नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया जाता है। 33 राज्यों/

संघ राज्य क्षेत्रों में साइबर फोरेंसिक सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गई हैं, जहां 24,264 लोगों को साइबर से संबंधित मामलों का प्रबंध करने का प्रशिक्षण दिया गया है। हिंसा प्रभावित महिलाओं को एकीकृत सहायता और समर्थन करने तथा महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार की हिंसा से लड़ने के लिए पुलिस, चिकित्सा, कानूनी सहायता और परामर्श, मनोवैज्ञानिक सहायता सहित विभिन्न सेवाओं तक तत्काल, आपातकालीन और गैर-आपातकालीन पहुंच की सुविधा प्रदान करने के लिए, 36 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में 802 ओएससी क्रियाशील हैं। इनके द्वारा अब तक 10.12 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है। जरूरतमंद महिलाओं और संकट में फंसी महिलाओं को सहायता और समर्थन के लिए सभी 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न आपात स्थितियों के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस-112) स्थापित की गई है, जिसमें फील्ड/ पुलिस संसाधनों का कंप्यूटर सहायता प्राप्त संदेश भेजा जाना शामिल है। ईआरएसएस के अलावा, पश्चिम बंगाल को छोड़कर 35 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में एक पूरी तरह कार्यशील विशेष महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल-181) चालू है। महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) को ईआरएसएस के साथ भी एकीकृत किया गया है। अब तक, महिला हेल्पलाइनों ने 1.95 करोड़ से अधिक कॉल का प्रबंधन किया है और 81.64 लाख से अधिक महिलाओं की सहायता की है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि जघन्य यौन अपराधों की पीड़ित दुर्भाग्यपूर्ण महिलाओं और युवा लड़कियों को न्याय मिले, सरकार 2019 से फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) स्थापित करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। अब तक 790 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) को मंजूरी दी गई है जिनमें से 408 विशिष्ट पोक्सो (ई-पॉक्सो) न्यायालय सहित 750 न्यायालय 30 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इन न्यायालयों ने देश भर में बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के तहत 2,87,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है।

सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जहां महिलाएं काम करती हैं और रहती हैं, 8 शहरों (अर्थात अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई) में सुरक्षित शहर परियोजनाएं के अंतर्गत उप परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं। महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रबंधन प्रणाली (आईईआरएमएस), कोंकण रेलवे में वीडियो निगरानी प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित चेहरे की पहचान प्रणाली (एफआरएस) को वीडियो निगरानी प्रणालियों के साथ एकीकृत किया गया है। इसमें रेल मंत्रालय द्वारा 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर और ट्रेन में अकेली महिला यात्री की सुरक्षा को देखते हुए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के कमांड और कंट्रोल सेंटर के साथ वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म जैसी परियोजनाएं एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी), बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (बीएमटीसी), तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीएसआरटीसी) जैसी कुछ राज्य विशिष्ट परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं।

(ख) और (ग): अब तक परियोजनाओं/योजनाओं का संचालन करने वाले मंत्रालयों/विभागों/कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) द्वारा निर्भया कोष के तहत आवंटित कुल राशि का लगभग 74% जारी/उपयोग किया जा चुका है। निर्भया कोष के तहत परियोजनाएं/योजनाएं मांग आधारित हैं। निर्भया कोष के लिए फ्रेमवर्क के तहत अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) द्वारा मूल्यांकन की गई परियोजनाओं/योजनाओं का कार्यान्वयन कार्यक्रम अलग-अलग है। इसके अलावा, कुछ मूल्यांकित परियोजनाओं को केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों

द्वारा सीधे कार्यान्वित किया जाता है, हालांकि, अधिकांश परियोजनाएं राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। इसमें केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के निर्धारित लागत साझाकरण पद्धति के अनुसार राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि जारी करती है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुमोदित कार्यान्वयन अवधि के अनुसार जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन किया जाता है। इसके अलावा, ऐसी योजनाएं हैं जिनमें सेवाएं प्रदान करने के लिए आवर्ती व्यय की आवश्यकता होती है, जिसके संबंध में सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के प्रावधानों के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसी (आईए)/ प्राधिकरण से उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) और व्यय का विवरण (एसओई) प्राप्त होने पर आगे की धनराशि जारी की जाती है। इसलिए, यह संभव है कि वास्तव में अधिक धनराशि का उपयोग किया गया हो, लेकिन राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों/आईए से जीएफआर के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) और व्यय का विवरण (एसओई) प्राप्त नहीं हुए हैं। समय पर यूसी और एसओई जमा करने के लिए राज्यों/आईए से नियमित रूप से अनुरोध किया जाता है। कई अन्य कारक जैसे सक्षम अधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने में लगने वाला समय और अनुबंध देने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया भी योजना के कार्यान्वयन को प्रभावित करते हैं।

निर्भया कोष के लिए फ्रेमवर्क के तहत गठित अधिकारियों की एक अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) निर्भया कोष के तहत वित्तपोषण के प्रस्तावों का शुरू में मूल्यांकन और अनुशंसा करती है। यह समय-समय पर मंत्रालयों/विभागों/संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों के समन्वय में स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति और व्यय की स्थिति की व्यापक समीक्षा करती है। इसके अलावा, परियोजना/योजना कार्यान्वयन मंत्रालय/विभाग/एजेंसियां भी अपने स्तर पर कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करती हैं।

*****